

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कौशाम्बी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
टी0आर0एस0 इंटर नेशनल स्कूल,
नेवादा—कौशाम्बी ।

पत्रांक: /मान्यता/

/2016–17

दिनांक— 02-05-2016

विषय:—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-08-2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं टी0आर0एस0 इंटरनेशनल स्कूल नेवादा—कौशाम्बी को तारीख 01 अप्रैल 2016 से तारीख 30 मार्च 2019 तक तीन वर्ष अवधि के लिए कक्षा-01 से कक्षा-08 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:—

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-05 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3—विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के .25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4—पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6—विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा;

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अविकसित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे;

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—.....(—)
कुल निर्मित क्षेत्र—.....(—)
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल—.....(—)
कक्षाओं की संख्या—.....(08)
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भांडारगार के लिए कक्ष—....(है)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—.....(है)
पेयजल सुविधा—.....(है)
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई—.....(है)
बाधारहित पहुँच—.....(है)

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय को उपलब्धता—...(है)...

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।

10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....(.....).....है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17-सलांग उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।

पृष्ठां: /मान्यता/ १४६-१

/2016-17 तद दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-शिक्षा निदेशक (बै०) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
- 2-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
- 4-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-कौशाम्बी।
- 5-कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।